

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमराम परमार, आर.ए.एस.

1- अपील संख्या 44/2017

महेन्द्रपाल पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी ख्योंवाली ढाब तहसील व जिला  
फाजिल्का (पंजाब)। —अपीलांत

बनाम

1. दलीप कुमार पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी ख्योंवाली ढाब तहसील व जिला  
फाजिल्का पंजाब हाल आबाद चक 2/3 आर.जे.एम. तहसील घडसाना जिला  
श्रीगंगानगर।

2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार घडसाना । —रेस्पोंडेंटस

2- अपील संख्या 45/2017

महेन्द्रपाल पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी ख्योंवाली ढाब तहसील व जिला  
फाजिल्का (पंजाब)। —अपीलांत

बनाम

1. दलीप कुमार पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी ख्योंवाली ढाब तहसील व  
जिला फाजिल्का पंजाब हाल आबाद चक 2/3 आर.जे.एम. तहसील घडसाना  
जिला श्रीगंगानगर।

2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार घडसाना । —रेस्पोंडेंटस

अपील अर्न्तगत धारा 223 राज. का.अधि. 1955

विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना दिनांक 01.07.16 व 14.09.16

उपस्थिति:-

श्री रविन्द्र बिश्नोई , अभिभाषक अपीलांत


श्री सुखदेवसिंह बुटर , अभिभाषक रेस्पों.

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक :- 17.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पों. सं. 1 ने एक वाद  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 53,  
188 का पेश कर कथन किया कि चक 8 आर.जे.एम. के मु.नं. 34 प.नं. 94/15

  
17/11/17  
राजस्व अपाल प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर (राज.)


के कि.नं. 1 से 25 की 6.325 है 0 भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा है। घर बंटवारा में वादी के कि.नं. 1, 11, 16 से 25 की 3.162 है 0 भूमि आई है जिसपर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। रिकार्ड में भूमि संयुक्त रूप से है। वादी ने प्रतिवादी को कई बार राजस्व रिकार्ड में बंटवारा करवाने के लिये कहा, लेकिन उसके द्वारा इन्कार कर दिया। अतः निवेदन है कि वाद पत्र के मद सं. 8 के उपमद क, ख के अनुसार वाद डिक्री किया जाए।

वाद पेश होने पर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी की रजि.एडी प्राप्त होने पर उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए दिनांक 01.07.2016 को वादी का वाद स्वीकार करते हुए तहसीलदार से भूमि की किस्म अनुसार विभाजन के प्रस्ताव मंगवाने के आदेश दिये गये जिसके विरुद्ध अपील सं. 44/2017 पेश की गई है। विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 14.09.2016 को अन्तिम डिक्री जारी की गई जिसके विरुद्ध अपील सं. 45/2017 पेश की गई है।

दोनों ही अपीलों में पक्षकार एक होने से, विवादित भूमि एक होने से तथा उभयपक्ष द्वारा एक साथ किये जाने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहरात हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट/प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए पारित किया गया है। प्रारम्भिक डिक्री जारी करने के पश्चात अन्तिम डिक्री जारी करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया। इस प्रकार अपीलाधीन अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपीलें पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किये हैं। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर दोनों अपीलें स्वीकार की जावे।

  
17/11/17  
राजस्व अपाल प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर (राज.)



विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि दोनों अपीलें मियाद बाहर हैं। अधी. न्यायालय में वाद पेश होने पर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी पर नोटिस तामील होने पर उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। ऐसी स्थिति में वादी को सुनकर वाद का निर्णय किया गया है। विभाजन में वादी एवं प्रतिवादी दोनों को बराबर भूमि दी है। ऐसी स्थिति में दोनों ही अपीलें खारिज की जावे।


उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा उपरोक्त दोनों अपीलें क्रमशः आदेश दिनांक 01.07.2016 व 14.09.2016 के विरुद्ध दिनांक 11.04.2017 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में दोनों अपीलों को पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील सं. 44/2017 महेन्द्रपाल बनाम दलीप कुमार निर्णय दिनांक 01.07.2016 (प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध) व अपील सं. 45/2017 इस प्राथमिक डिक्री आधारित बनी अन्तिम डिक्री निर्णय दिनांक 14.09.2016 का निर्णय उपखण्ड अधिकारी घडसाना के विरुद्ध पेश की गई है जो प्राथमिक व अन्तिम डिक्री अपीलांट को सुने बगैर जारी की है। अतः अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।


अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधी. न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ सं. 22 पर नोटिस रजि.एडी से भेजने की भारतीय डाक विभाग की Receipt उपलब्ध है जिसमें सीपीसी के आदेश 5 नियम 5 निर्धारित परिशिष्ट ख सं. 2 में सम्मन जारी होना प्रमाणित है तथा पृष्ठ सं. 23 प्रतिवादी अपीलांट की पावती पर स्वयं के हस्ताक्षर होकर वाद के सम्बन्ध में सुनवाई का पूर्ण मौका दिया जाना पत्रावली से साबित है। अतः अपील मीमों का यह कथन कि कोई नोटिस जारी नहीं हुआ तथ्यों से विपरीत होने से अपीलांट का कथन मानने योग्य नहीं है। जहां तक प्राथमिक डिक्री के गुणावगुण का प्रश्न है निर्णय का क्रियात्मक भाग है कि " लिहाजा वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर इस आशय की प्राथमिक डिक्री पारित की जाती है कि चक 8 आरजेएम का मुनं. 34



  
17/11/17  
राजस्व अमाल प्राधिकारी  
श्रीमंथनगर (राज.)

प.नं. 94/15 के किला.नं. 1 ता 25 की कुल 6.325 कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को भूमि की किस्म के अनुसार अच्छी में से अच्छी व मंदी में से मंदी का बहिस्सा बराबर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व उनका खाता विभाजित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 से भूमि की किस्म व हिस्से के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर भूमि की किस्म के अनुसार नियमानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावे। " प्राथमिक डिक्री में अच्छी से अच्छी व मंदी से मंदी में से का बहिस्सा बराबर विभाजन का आदेश पारित किया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 व इस धारा की क्रियान्विति हेतु बने Rajasthan tenancy (Board of Revenue) rules के नियम 18 से 24 की मंशानुसार होने से अधी. न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं होने से अपील अपीलांट संख्या 44/2017 खारिज की जाती है तथा अपील सं. 45/2017 में अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी. न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में जो बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया है वह पूर्ण रूपेण Record base है यथा अपीलांट व रेस्पों. दोनों के हिस्से में एक ही किस्म अनकमाण्ड भूमि दिये जाने का प्रस्ताव है तथा अपीलांट व रेस्पों. का हिस्सा भी जमाबन्दी अनुसार बंटवारा प्रस्तावित किया है, साथ ही बंटवारा प्रस्ताव में जो नजरी नक्शा बनाया गया है उसमें अपीलांट की भूमि मार्क M व रेस्पों. की भूमि D दर्शाई है जो दोनों का अपना-अपना cluster बनना दर्शाता है। अतः बंटवारा प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के निर्देश अच्छी से अच्छी व मन्दी से मन्दी भूमि के बंटवारे का प्रस्ताव तैयार किया है इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री का आदेश दिनांक 14.09.2016 पारित हुआ है। अतः इसमें भी हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं होने से अपील अपीलांट संख्या 45/2017 खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(प्रकाशराम परमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
श्रीगगांनगर



## डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

### न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,  
महेन्द्रपाल पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी ख्योंवाली ढाब तहसील व जिला  
फाजिल्का (पंजाब)। —अपीलांत

बनाम

1. दलीप कुमार पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी ख्योंवाली ढाब तहसील व  
जिला फाजिल्का पंजाब हाल आबाद चक 2/3 आर.जे.एम. तहसील  
घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार घडसाना । —रेस्पोंडेंटस  
अपील संख्या 45/2017 व नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी  
मुकाम घडसाना मुक़र्ख 14 माह 09 सन् 2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 17 माह 11 सन् 2017 रुबरु मुझ हाजरी श्री  
रविन्द्र बिश्नोई अभिभाषक मिनजानिब अपीलांत व श्री सुखदेवसिंह बुटर  
अभिभाषक रेस्पों. एवं श्री वेदप्रकश शर्मा राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए  
पेश होकर हुकम हुआ कि अपील अपीलांत खारिज की जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग .. X .....) रुपये.. X .  
.... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .. X ..... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 17.11.2017 जारी किया  
गया।

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर